



स्वास्थ्य निदेशालय झारखण्ड, राँची।

E-Mail: - Jhr.healthdirector4@gmail.com



सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026- 1246(23)

राँची, दिनांक 27/07/2026

आदेश

दिनांक 22-23 जुलाई 2026 को सम्पन्न स्थापना समिति, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानांतरण हेतु अनुशंसित निम्नलिखित राज्य स्तरीय तृतीय वर्ग के कर्मियों को उनके नाम के सामने कॉलम-03 में अंकित स्थान से स्थानांतरित करते हुए कॉलम-04 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मियों का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन, पलामू।	सदर अस्पताल, राँची।	अभ्यावेदन के आधार पर
2	श्री सुजीत कुमार लिपिक	सदर अस्पताल, कोडरमा।	रेफरल अस्पताल, मांडर, राँची।	तथैव।
3	श्री संजय राम लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लातेहार।	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।	तथैव।
4	श्री राजीव रंजन लिपिक	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग	तथैव। विभागीय पत्रांक 354(9) दिनांक 10.09.2018 के द्वारा स्वीकृत Store Keeper Cum Clerk Cum Computer Operator के पद पर।
5	श्री रवि रंजन कुमार लिपिक	सदर अस्पताल, चतरा।	शेख-भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।	तथैव।
6	श्री संदीप रजक लिपिक	सदर अस्पताल, धनबाद।	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविधालय, धनबाद।	तथैव।
7	श्री साहिल कुमार रजक लिपिक	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र एवं अस्पताल, तेतुलमारी, धनबाद।	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविधालय, धनबाद	तथैव।
8	श्री प्रवीण कुजूर लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोमिया, बोकारो।	प्रा० स्वा० केन्द्र, तुड़ीगढ़, नामकुम, राँची।	तथैव।
9	श्री आदित्य कुमार लिपिक	सदर अस्पताल, साहेबगंज।	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय-1, राँची।	तथैव।
10	श्रीमती पूनम कुमारी लिपिक	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, चतरा।	रिनपास, कांके, राँची।	तथैव।
11	श्री संजय कुमार, लिपिक	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, गण्डके, रामगढ़।	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।	तथैव।
12	श्री राहुल कुमार लिपिक	प्राचार्य, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू।	सदर अस्पताल, पलामू।	तथैव।
13	श्रीमती निशी कुल्लू लिपिक,	प्रा० स्वा० केन्द्र, लचरागढ़, कोलेबिरा, सिमडेगा।	राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची।	तथैव।
14	श्री मनीष कुमार सिंह, लिपिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालाजोरी, देवघर।	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघमारा, जसीडीह, देवघर।	कार्यहित के दृष्टिगत।

15	श्री शम्भू कुमार सिंह, लिपिक	राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची।	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, नामकुम, राँची।	कार्यहित के दृष्टिगत।
16	श्री अरुण कुमार सिन्हा, लेखापाल	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, नामकुम, राँची।	राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची।	विभागीय पत्रांक 28(7) दिनांक 06.05.2026 के आलोक में।

- यह आदेश तत्काल प्रभाग से लागू होगा।
- अभ्यावेदन पर स्थानांतरित किये गये कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित कर्मियों को दिनांक 14.08.2026 तक निश्चित रूप से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा दिनांक 17.08.2026 के पूर्वाह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
- स्थानांतरित स्थल पर पद रिक्त नहीं रहने पर संबंधित कर्मियों का पदस्थापन संबंधित जिले के सिविल सर्जन/नियंत्री पदाधिकारी अपने स्तर से नियंत्रणाधीन रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करत हुए इसका अनुमोदन स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों का पूर्व पदस्थापित स्थान से उनके पदस्थापन के संबंध में सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित कर्मियों के द्वारा स्थानांतरित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करने अथवा नहीं करने वाले कर्मियों की सूचना स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड को दिनांक 20.08.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानांतरित कर्मियों का माह-अगस्त 2026 का वेतन नव-पदस्थापित स्थान से देय होगा। स्थानांतरण आदेश की सम्पुष्टि के उपरान्त ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। सम्पुष्टि के बिना वेतनादि का भुगतान किये जाने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- स्थानान्तरित कर्मियों यदि पूर्व से अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्त हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- उक्त स्थानांतरण हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० सिद्धार्थ सान्याल)

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

सं०सं०- स्वा०नि०/23/मु०स्था०-39/2026-1246(23)राँची, दिनांक 27/07/2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, स्वा० चि० शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा० सेवाएँ, झारखण्ड/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड/राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची/निदेशक, रिनपास, राँची/सभीराज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड/सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, झारखण्ड/अनुमंडलीय अस्पताल, झारखण्ड/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र/रेफरल अस्पताल/प्रा० स्वा० केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।